रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225945
CG-DL-E-16032021-225945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942
No. 143] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 192(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 30 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 750(अ) के द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गईं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां तारीख 03 दिसंबर, 2020 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:—

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, —

(क) नियम 97 में, उप-नियम 3 में,—

(क) “महानिदेशक प्राधिकृत कर सकते है” शब्दों के स्थान पर “महानिदेशक अथवा इस उद्देश्य के लिए महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य संगठन प्राधिकृत कर सकता है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) खंड (i) के पश्चात, तथा स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, नामत:—

“परंतु यह कि लाइसेंस धारक के अनुभव के अनुसार महानिदेशक द्वारा अनुसूची ।।। के संगत अनुभाग के लिए विनिर्दिष्ट अनुभव जिसमें ज्ञान, कौशल और अनुभव की आवश्यकता समझी जाए, के लिए लाइसेंस धारक द्वारा अनुभव प्राप्त करने के बाद ऐसी नव स्थापित हवाई यातयात सेवा इकाई की रेटिंग को लाइसेंस पर पृष्ठांकित किया जा सकता है।”

(ख) नियम 111 में, उप-नियम (2) में, “भारतीय वायु सेना या भारतीय नौसेना” शब्दों के स्थान पर संघ के नौसैनिक, सैन्य या वायु सेना या “तत्समय लागू किसी कानून के तहत गठित संघ के अन्य सशस्त्र बल” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची ।।। में,-

(क) अनुभाग ‘क’ में,-

(i) पैराग्राफ 2 में,-

(1) खंड (क) और (ग) में, “दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र” शब्दों के लिए शब्द “दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र/अंक पत्र” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) खंड (ख) में, “महानिदेशक का कार्यालय” शब्दों के लिए “नागर विमानन महानिदेशालय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) पैराग्राफ 3 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

“(ख) आवेदन की तारीख वह तिथि होगी जिस तारीख को नागर विमानन महानिदेशालय में आवेदन प्राप्त होता है।”

(iii) पैराग्राफ 4 में, खंड (क) के बाद, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, नामत:—

“परंतु जब दो हवाई यातायात नियंत्रक रेटिंग साथ-साथ मांगी जाती है, तो लाइसेंस धारक दोनों रेटिंग की परीक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेगा।”

(iv) पैराग्राफ 5 में, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, नामत:-

“परंतु जब दो हवाई यातायात नियंत्रक रेटिंग साथ-साथ मांगी जाती है, तो लाइसेंस धारक दोनों रेटिंग की परीक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेगा।”

(v) पैराग्राफ 6 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:--

“(ख) अनुभाग घ, ड0, च, छ, ज और ञ में विनिर्दिष्ट अनुभव के पूरा होने से छः महीने के भीतर रेटिंग के लिए आवेदन किया जाएगा;

बशर्ते कि आवेदक आवेदन की तारीख से छह महीने पहले कम से कम 10 घंटे का अनुभव प्राप्त कर चुका हो।”

(vi) पैराग्राफ 7 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:--

“**7. अनुभव अपेक्षाएं-** एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लाइसेंस या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लाइसेंस धारक छात्र को किसी विशेष रेटिंग के लिए इस अनुसूची के संगत अनुभाग में विनिर्दिष्ट अवधि तथा घंटों के लिए किसी अनुदेशक के पर्यवेक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

परन्तु यह कि जब किसी आवेदक ने रेटिंग का धारण पहले से किया हुआ है अथवा समान विमान यातायात सेवा स्टेशन की किसी अन्य यूनिट की रेटिंग अथवा किसी अन्य विमान यातायात स्टेशन की समान रेटिंग का धारण उसे प्राप्त है तो उस विमान यातायात यूनिट के यातायात के आयतन, जिसके अनुसार रेटिंग विचारणीय है, एवं लाइसेंस धारक के अनुभव के प्रति संतुष्टि होने एवं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट स्थितियों की पूर्ति होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस अनुसूची की संगत धारा में निर्दिष्ट घंटों की अवधि से कम अवधि का कार्यक्षम प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का अनुमोदन दिया जा सकेगा।

परंतु यह कि जब दो हवाई यातायात नियंत्रक रेटिंग साथ-साथ मांगी जाती है, तो लाइसेंस धारक को उस रेटिंग की अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जिसके लिए ऐसी रेटिंग हेतु उच्च अनुभव की आवश्यकता होती है।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षक का अर्थ है हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग अनुदेशक (OJTI)"

(vii) पैराग्राफ 9 में, "तीन दिनों की अवधि" शब्दों के लिए "दस दिन से अधिक नहीं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुभाग ग में, पैराग्राफ 1 में, खंड (ड0) में, "पूरा किया" शब्दों के लिए शब्द "अपने निपुण होने की अपेक्षित क्षमता का प्रदर्शन किया," और "हवाई यातायात नियंत्रक" शब्दों के लिए "अनुदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुभाग घ, ड0 और छ में, पैराग्राफ 1 में, खंड (ख) में, "अनुदेशक या अधिकृत हवाई यातायात नियंत्रक के लाइसेंस धारक की देखरेख में" शब्दों और परंतुक का विलोप किया जाएगा;

(घ) अनुभाग ड0 में, पैराग्राफ 4 में, खंड (क) में, "हवाई अधिकार क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "हवाई अधिकार क्षेत्र या उसके भाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) अनुभाग च में, पैराग्राफ 1 में, खंड (ख) में, उप-खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"(ii) कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए उस इकाई में जिसके लिए रेटिंग मांगी गई है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पूरा किया हो, जिसके दौरान कम से कम एक सौ अस्सी घंटे का प्रशिक्षण पूरा हो गया हो;

परंतु यह कि उप-खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षा किसी अन्य विमान क्षेत्र के लिए पहुंच / क्षेत्र निगरानी रेटिंग रखने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आवश्यक नहीं होगी।"

(च) अनुभाग ज में, पैराग्राफ 1 में, खंड (ख) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत: -

"(ii) कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए उस इकाई में जिसके लिए रेटिंग मांगी गई है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पूरा किया हो, जिसके दौरान कम से कम एक सौ अस्सी घंटे का प्रशिक्षण पूरा हो गया हो;

परंतु यह कि उप-खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षा किसी अन्य विमान क्षेत्र के लिए पहुंच / क्षेत्र निगरानी रेटिंग रखने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आवश्यक नहीं होगी।"

(छ) अनुभाग ञ में, पैराग्राफ 1 में, खंड (ख) में, उप-खंड(ii) में, "अनुदेशक या अधिकृत वायु यातायात नियंत्रक के पर्यवेक्षण में" शब्दों और परंतुक का विलोप किया जाएगा।

[फा. सं. एवी.-11012/2/2017-ए]

अंशुमाली रस्तोगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या वी-26 तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि.सं.192(अ) तारीख 20 मार्च, 2020 द्वारा किए गए जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 20 मार्च, 2020 को प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 192(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 750 (E), dated the 30th November, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 3rd December, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 and 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. **Short title and commencement.─** (1) These rules may be called the Aircraft (First Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937,—

(A) in rule 97, in sub-rule (3), —

(a) for the words "the Director-General may authorise", the words "the Director-General or any other organisation specifically authorised by the Director-General for this purpose may authorise" shall be substituted;

(b) after clause (i) and before Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that rating of such newly established air traffic service unit may be endorsed on the licence, after the licence holder gains the experience as specified by the Director-General, for the relevant Section of Schedule III, wherein requirement of knowledge, skill and experience shall be considered to be complied with.";

(B) in rule 111, in sub-rule (2), for the words "Indian Air force or Indian Navy", the words "the naval, military or air forces of the Union or other armed forces of the Union constituted by any law for the time being in force" shall be substituted;

(C) in Schedule III, —

(a) in Section A, —

(i) in paragraph 2,—

(1) in clause (a) and (c), for the words "Class X certificate", the words "Class X certificate/marks sheet" shall be substituted;

(2) in clause (b), for the words "office of the Director-General", the words "Directorate General of Civil Aviation" shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) The date of application shall be the date on which the application is received in the Directorate General of Civil Aviation.";

(iii) in paragraph 4, after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that when two air traffic controller ratings are sought concurrently, the licence holder shall meet the examination requirements of both the ratings.";

(iv) in paragraph 5, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that when two air traffic controller ratings are sought concurrently, the licence holder shall meet the skill requirements of both the ratings.";

(v) in paragraph 6, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) The application for a rating shall be made within six months from the completion of experience specified in Sections D, E, F, G, H and J:

Provided that the applicant shall have completed at least 10 hours of experience in preceding six months from the date of application.";

(vi) for the paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"7. Experience requirement.— The holder of a Student Air Traffic Controller's Licence or an Air Traffic Controller's Licence shall be required to undergo the on-the-job training under the supervision of an instructor for the period and duration of hours specified in the relevant Section of this Schedule for grant of a particular rating:

Provided that when an applicant already holds or held the rating of any other unit at the same air traffic services station, or the same rating of another air traffic services station, on being satisfied and subject to the conditions specified by the Director-General, on the basis of traffic volume of the air traffic unit for which the rating is being sought and experience of the licence holder, the licensing authority may approve the on-the-job training of a shorter period and duration of hours than the one specified in the relevant section of this Schedule.

Provided further that when two air traffic controller ratings are sought concurrently, the licence holder shall meet the experience requirements of the rating which requires the higher experience for such rating.

Explanation. — For the purpose of this paragraph, instructor means an air traffic control (ATC) on-the-job training instructor (OJTI).";

(vii) in paragraph 9, for the words "a period of three days", the words "not more than ten days" shall be substituted;

(b) in Section C, in paragraph 1, in clause (e), for the word "completed", the words "demonstrated the required competence, having accomplished" and for the words "air traffic controller", the word "instructor" shall be substituted;

(c) in Sections D, E, and G, in paragraph 1, in clause (b), the words "under the supervision of an instructor or authorised Air Traffic Controller's Licence holder" and proviso shall be omitted;

(d) in Section E, in paragraph 4, in clause (a), for the words "airspace jurisdiction", the words "airspace jurisdiction or portion thereof" shall be substituted;

(e) in Section F, in paragraph 1, in clause (b),for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) having undergone on-the-job training for a period of not less than three months, during which at least one hundred and eighty hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought:

Provided that the requirement as specified in sub-clause (i) shall not be required for an air traffic controller holding or having held an Approach/Area Surveillance Rating for any other aerodrome.";

(f) in Section H, in paragraph 1, in clause (b), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) undergone on-the-job training for a period of not less than three months, during which at least one hundred and eighty hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought:

Provided that the requirement as specified in sub-clause (i) shall not be required for an air traffic controller holding or having held an Approach/Area Surveillance Rating for any other aerodrome."

(g) in Section J, in paragraph 1, in clause (b), in sub-clause (ii), the words "under the supervision of an instructor or authorised Air Traffic Controller" and proviso shall be omitted.

[F. No. AV-11012/2/2017-A]

ANGSHUMALI RASTOGI, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 192(E), dated the 20th March, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 20th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.